

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
7/18	136 L.R Act	सीइएन	एवए
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जे नगी	बनाम	सरकार	

वकील :-

**आदेश पत्रक**

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
6/2/18	वकील द्वारा एक आदेश अंतर्गत धारा 136 L.R Act, विरुद्ध आदेशों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया रिपोर्ट सही प्रकार दर्ज करने के लिए आदेश दर्ज रजिस्ट्रार को प्रार्थना की गई है। तलय कर प्रकरण दिनांक 6/3/18 को करा है।	
6/3/18	आज पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रस्तावित पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/6/18 को करा है।	
11/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कार्य के लिए प्रयासों में दिनांक 11/6/18 निवृत्त की जाती है। लोक अदालत कार्य के लिए निस्तारण नहीं होने की दशा में प्रयासों पूर्ववत् दिनांक 30/7/18 को न्यायालय में पेश हो।	
30/7/18	आज पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रस्तावित पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8/10/18 को करा है।	
8/10/18	आज पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रस्तावित पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/11/19 को करा है।	
22/10/19	प्रभावित पेश हुई। वकील प्रार्थना उपर तहसील के रिपोर्ट ली जाने वाले रिपोर्ट प्रभावित दिनांक 19/11/19 को पेश हो।	

रीडर  
भाईप्रानुसार उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बारां

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

दिनांक

26/4/21

आ-के-सी-नो-2020/2021 अन्य कार्य में  
घरत होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
दिनांक 26/5/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

26/5/21

आ-के-सी-नो-2020/2021 अन्य कार्य में  
घरत होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
दिनांक 29/6/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

29/6/21

आ-के-सी-नो-2020/2021 अन्य कार्य में  
घरत होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
दिनांक 4/8/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

**प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021**

11/10/21

पत्रावली प्रशासन गाँव संग अभियान 2021 के संग शिबिर  
ग्राम वार्ड 230 इका में शुरु पेश हुई। प्रकरण में  
वर्कालदार इका से रिपोर्ट ली गई। तस्वीलदार इका  
से रिपोर्ट ली गई बताया कि प्रकरण संख्या 7/18 बारा  
136 C.R Act का गहनता से अध्ययन किया। उक्त प्रकरण  
में प्रार्थिका द्वारा शार्क वार्ड की आराजी रक.न. 282  
रकवा 2006 कीदा में दर्ज जाती प्रमाण के स्थान पर  
कुम्हार दर्ज करवाने हेतु प्र.पत्र पेश किया है।


सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर  
प्रार्थिका द्वारा सलान दस्तावेज शसन बोर्ड की फोटो प्रति  
में नेतृता कोई भी गोपीलाल दर्ज है। पत्रावली में सलान  
आपार बोर्ड व मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति में  
शुभार शक्ति की जाबर प्रति का नंबर गौर संकर दिया  
गया है सलान मामला सह Emro/Amro में भी प्रार्थिका

उपखण्ड  
छबड़ा, जिला

द्वारा पत्रिका नाम गोपीलाल के स्थान पर गौर शंकर  
 किया गया है। एक प्रार्थिका द्वारा सलगन आचार्य  
 में प्रार्थिका का जन्म 1955 दर्ज है जबकि सेलगेट  
 पत्नी जो सन् 1955 सन्त 2010 में वैध की गई है  
 3 सें. सं. 282 सं. 2006 के प्रा. पत्र पर नन्ही के का  
 गौर शंकर जाति प्राज्ञ दर्ज है। इस प्रकार से प्रार्थिका  
 द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र. धारा 136 C.R.A. के खारिज योग्य  
 है। जो प्रार्थिका द्वारा न्यायालय को गुमराह करने  
 की कोशिश की गई है अतः प्रमाण निरस्त जाओ।

नहकीलदार इका की रिपोर्ट एक  
 पत्नीवली के अवलोकन करने पर मैं इस निष्कर्ष  
 पर पहुँची हूँ कि प्रार्थिका द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र. धारा  
 136 C.R.A. के आधार हीन है अर्थात् चलने योग्य  
 नहीं है।

अतः प्रमाण धारा 136 C.R.A. के आधार हीन  
 होने से खारिज किया जाता है। पत्नीवली के शाल  
 शंकर शंकर दारिद्र्य दफ्तर है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा, जिला बारां (राज०)